न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 11780 / 2003 / दौसा

1– रामेश्वर पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी छोकरवाड़ा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2– अणतराम पुत्र कल्याण सहाय जाति ब्राह्मण निवासी भण्डारी तहसील सिकराय जिला दौसा।

–अपीलांट्स

बनाम

1– रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी भण्डारी तहसील सिकराय जिला दौसा।
2– सीताराम पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण निवासी छोकरवाड़ा तहसील सिकराय जिला दौसा।

–रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री के.के. पुरोहित, अपीलांट्स।
2. श्री अजीत लोढ़ा एवं श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अभिभाषकगण रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक– 28–7–2025

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 34 / 97 में पारित निर्णय दिनांक 27–9–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स / वादी द्वारा विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष रेस्पोडेंट्स / प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के तहत् एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 76 / 1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा बारानी ए, खसरा नंबर 76 / 2 रकबा 9 बिस्वा बारानी ए, खसरा नंबर 76 / 3 रकबा 11 बिस्वा चाही–2, खसरा नंबर 76 / 4 रकबा 1 बीघा

4 बिस्वा आरानी ए, कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा लागानी 13 रूपये 89 पैसे वार्षिक वाके मौजा भण्डारी तहसील सिकराय अपीलांट/वादी की खातेदारी की है, जो सरकारी रिकार्ड में रामेश्वर पुत्र राधाकिशन, माता मु0 भंवरी बैवा राधाकिशन ब्राह्मण छोकरवाड़ा के नाम दर्ज है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 94/1977 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी के हक की भूमि है, जिसके आधे भाग की भूमि पर वादी का कब्जा प्रतिवादी की सहमति से रहा है। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात् वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी द्वारा एक वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई द्वारा दिनांक 18–12–1980 को निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1– आया आराजी खसरा नंबर 76/1, 76/2, 76/3 व 76/4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा भंडारी वादी की खातेदारी की है

2– आया प्रतिवादी ने मिति आषाढ़ सुदी 2 संवत् 2032 को आराजी खसरा नंबर 76/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा बारानी ए0 वाके मौजा भंडारी पर जबरन कब्जा करके काश्त कर ली।

3– आया वादी आराजी खसरा नंबर 76/1 पर कब्जा वापिस पाने का मुश्तहक है।

4– आया वादी विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामि पाबंद कराने का मुश्तहक है।

5– आया वादी प्रतिवादी से मुआवजा बतौर हर्जा पाने का मुश्तहक है। यदि है तो कितना।

6– आया प्रतिवादी आराजी खसरा नंबर 76/1 का कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुका है।

7– आया दावा मियाद बाहर है।

8– दादरसी?

दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई द्वारा दिनांक 14–7–1997 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को वादी/अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 76/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा बारानी ए0, वाके मौजा भंडारी तहसील सिकराय से बेदखल कर अपीलांट/वादी को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को विवादित आराजी पर कब्जा एवं दखल करने से पाबंद किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–1997 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–9–2003 द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–1997 निरस्त कर दिया गया एवं रेस्पोडेंट को आराजी खसरा नंबर 76/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 76/2 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 76/3 रकबा 11 बिस्वा खसरा नंबर 76/4 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम भंडारी तहसील सिकराय जिला दौसा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अपीलांट्स को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2003 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की विषय–वस्तु आराजी खसरा नंबर 76/2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा थी, जिसके संबंध में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध निष्कासन का अनुतोष चाहा था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 32/76 एवं 134/96 में आराजी खसरा नंबर 76/1, 76/2, 76/3, 76/4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा बाबत् खातेदारी अधिकारों को चुनौती देकर स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर अपीलांट को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया गया था, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वाद की विषय–वस्तु के संबंध में पक्षकारान के अभिकथन साक्ष्य एवं वाद में निर्णयार्थ वाद बिन्दुओं का अवलोकन किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2003 निरस्त किया जावे।

5– रेस्पोडेंट्स के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विवादित आराजी रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में है एवं अपीलांट का किसी भी तरह उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भू–प्रबंध विभाग ने कारगुजारी करते हुए विवादित आराजी को अपीलांट के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की है। जबकि रेस्पोडेंट का कथन रहा है कि सैटलमेंट विभाग राजस्व रिकार्ड के साथ किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार भू–राजस्व रिकार्ड मौजूद है, उसके मुताबिक ही रेस्पोडेंट उक्त विवादित आराजी का खातेदार एवं काबिज काश्तकार बना हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट द्वारा दो पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत किये । अपीलाण्ट द्वारा वाद संख्या 94/77 दिनांक 6–10–77 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 183 एवं 188 का मौजा भण्डारी तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नंबर 76/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 76/2 रकबा 9 बिस्वा , 76/3 रकबा 12 बिस्वा 76/4 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 76/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा पर से रेस्पोडेण्ट को बेदखल किये जाने एवं खसरा नंबर 76/1 लगायत 76/4 पर रेस्पोडेण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया । उक्त दावे का जबावदावा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 6–7–79 को प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23–1–79 के अनुसार इसी वाद से संबंधित एक अन्य वाद संख्या 32/78 को भी इसी पत्रावली के साथ शामिल किया गया ।

दावे व जबावदावे के आधार पर उक्त वाद संख्या 94/77 में दिनांक 18–12–80 को तनकियात कायम की गई ।

तत्पश्चात् रेस्पोडेण्ट द्वारा करीब 19 वर्ष बाद दिनांक 9–7–1996 को वाद संख्या 134/96 सहायक जिलाधीश के समक्ष मौजा भण्डारी तहसील सिकराय में स्थित खसरा नंबर 76/2 लगायत 76/4 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 एवं 88 के तहत प्रस्तुत खातेदारी घोषणा एवं बेदखली का प्रस्तुत किया । उक्त वाद का कोई जबावदावा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया न ही इस दावे में कोई तनकियात कायम की गई । जबकि वाद घोषणा व बेदखली का था ।

पूर्व वाद संख्या 94/77 में पहले से तनकियात कायम हो चुकी थी एवं साक्ष्य सबूत हो चुके थे लेकिन पश्चात्वर्ती वाद प्रकरण संख्या 134/96 में किसी प्रकार का जबावदावा व तनकियात साक्ष्य सबूत कायम किए बगैर केवल मात्र विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–7–97 द्वारा वाद संख्या 94/77, 32/78, 134/96 को बहस हेतु टीआई प्रार्थना–पत्र के साथ रखे गए । तथा निर्णय के अंत में भी दोनों दावों का पृथक–पृथक निर्णय अंकित नहीं कर बेदखली के आदेश जारी कर दिए । जबकि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट द्वारा पृथक–पृथक दो वाद घोषणा व बेदखली के प्रस्तुत किए थे । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा दोनों दावों का तनकीवार निर्णय नहीं किया गया । केवल एक ही दावे में सभी प्रकरणों का निर्णय किया गया जबकि एक दावा वर्ष 1977 में दर्ज हुआ और दूसरा वर्ष 1996 में । पश्चात्वर्ती दावे को पूर्व दावे में तनकियात कायम व साक्ष्य होने के उपरांत समेकित किया गया । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा दोनों दावों में तनकियात कायम नहीं कर केवल एक ही दावे की तनकियात कायम की जो आदेश 41 नियम 31 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत था । विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27–9–2003 के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय डिक्री निरस्त कर रेस्पोडेण्ट को खातेदार घोषित कर अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया । इस प्रकार विचारण न्यायालय ने केवल मात्र एक दावे की ही तनकियात बनाई जबकि उनके समक्ष दो अलग–अलग दावे 20 वर्ष के अन्तराल में होने के बावजूद उनके द्वारा पश्चातवर्ती दावे में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील स्वीकार की गई किन्तु तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण किए बगैर ही विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त

किया जो भी निरस्तनीय है । इस सम्बन्ध में हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 तथा आदेश 41 नियम 31 का उल्लेख करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार है –

Order 20 Rule 5 - Court to state its decision on each issue.- In suits in which issues have been framed, the Court shall state its finding or decision, with the reasons therefore, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issues is sufficient for the decision of the suit.

Order 41 Rule 31- Contents, date and signature of judgment - The judgment of the Appellate Court shall be in writing and shall state -

(a) the points for determination;

(b) the decision thereon;

(c) the reasons for the decision; and

(d) where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled; and shall at the time it is pronounced be signed and dated by the Judge or by the Judges concurring therein."

8– उक्त प्रावधानानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का यह दायित्व है कि वे निर्णय पारित करते समय विवाद बिन्दूओं का निर्धारण करने के उपरान्त निर्णय में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करें। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जिस प्रकार निर्णय पारित किया गया है, वह उक्तानुसार वर्णित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। हस्तगत प्रकरण में चूंकि वादी अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट दोनों के द्वारा अलग–अलग वाद के द्वारा एक ही विवादित भूमि के खातेदारी का अनुतोष एवं बेदखली का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की अनदेखी कर विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किए है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दो दावे की अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक ही अपील प्रस्तुत की गई जबकि दो दावों की दो अपीलें अपीलीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय थी । इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि–

"RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- Section 183, 188 and 88- One appeal filed against two judgments is not maintainable. In view of above categoric law repeatedly laid down by the Hon'ble Supreme Court, the failure on part of the petitioners to file two separate appeals the judgment dated 20.7.1966, whereby two cross suit, one by the petitioners and other filed by the respondents No. 5 and 6 were decided, the finding in other suit would operate

as res judicata and consequently, the single appeal filed by the petitioners was not maintainable. Writ petition dismissed."

इस स्तर पर पर अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था, जो इस प्रकरण में नहीं किया गया । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है । अतः हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई को तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9— उक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा का निर्णय व डिक्री दिनांक 27—9—2003 एवं उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई का निर्णय दिनांक 14—7—97 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता कि वे दोनों प्रकरणों की पुनः तनकियात कायम की जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करें । अन्य कोई प्रार्थना—पत्र, यदि कोई हों, तो तदनुसार निर्णित किये जाते हैं। उभय पक्षकारान उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई के समक्ष दिनांक 25—8——2025 को उपस्थित हों ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य